3-12-21 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र विड्रा करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली
तलब की गयी। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार
उक्त प्रकरण में राजीनामा होने से कोई
कार्यवाही नहीं चाही जा रही है

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का
अवलोकन किया एवं उपस्थित को सुना।
चूंकि उक्त प्रकरण में राजीनामा होने
से कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही
है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:41:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)